बिहार विधान परिषद्

207वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न
25 जुलाई 2024

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 13

ट्यूबवेल लगवाने का विचार

35. **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि गया-जहानाबाद एवं अरवल जिले में कृषि के लिए पानी की घोर कमी है, जिस कारण इन जिलों में किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफी परेशानी होती है;

(ख) क्या यह सही है कि इन जिलों में किसानों की सिचाई हेतु ट्यूबवेल की अति आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शीघ्र इन जिलों में प्रत्येक पंचायत में अविलंब कम से कम दो-दो ट्यूबवेल लगवाने का विचार रखती है. यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

औद्योगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना

36. **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **श्रम संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 151 है, जिसमें महिला आई.टी.आई भी है, जबकि असंख्यक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अध्यनरत प्रशिक्षुओं को विभिन्न विधाओं में शैक्षणिक तथा प्रशैक्षिणिक ज्ञान के माध्यम से एक कुशल पेशेवर बनाये जाने हेतु विशेषज्ञता प्रदान की जाती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वास्थ्य, विज्ञान, खेल विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

मारूति कार की बरामदगी

37. **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर की कल्पा जयसवाल की मारूति कार जिसकी पंजीयन संख्या बीआर1एसी 0003 है, दिनांक 8-10-2023 की रात ग्राम पंचरूखिया, थाना हिलसा, जिला नालंदा से चोरी हुई थी,

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार चोरी की प्राथमिकी हिलसा थाना कांड सं. 656/23 दिनांक 9-10-2023 को दर्ज की गई है,

(ग) क्या यह सही है कि आठ माह बाद भी पुलिस कार बरामद नहीं कर सकी है,

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार चोरी चली गई मारूति कार की बरामदगी के लिए ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं

कैमूर वन अभ्यारण्यण को टाइगर रिजर्व घोषित करना

38. **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क) क्या यह सही है कि कैमूर वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय

लिया गया है;

ख) क्या यह सही है कि कैमूर वन क्षेत्र का इलाका 1600 वर्ग किलोमीटर में है, जहाँ टाइगर रिजर्व घोषित होने से इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा तथा रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी;

ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कैमूर वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहेगी, यदि हाँ तो कब तक?

पथ चौड़ीकरण के संबंध में।

39. **श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज से निकली पटना जिला के पटना नहर के पूर्वी तटबंध पर विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराया जा चुका है, जिसपर हल्के यात्री/निजी एवं अन्य वाहन चलते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ लख पर (नौबतपुर) जहां नहर का स्लूईस गेट है, चारमुहानी हो जाता है और पथ संकीर्ण है, जिसके कारण अक्सर पथ जाम रहता है, जिससे वाहनों की लम्बी लाइन लग जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संकीर्ण पथ का चौड़ीकरण करना चाहती है, जिससे जाम से छुटकारा मिल सके, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

लम्बित वेतनादि का शीघ्र भुगतान

40. **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि श्री बबलू कुमार सिंह, पिता- श्री विनोदानन्द सिंह, ग्राम- मिलकी, पोस्ट- गंगटामोड़, जिला- मुंगेर दिनांक- 31.12.10 से 31.03.12 तक सारण प्रमंडल अन्तर्गत गंडक योजना भोरे एवं गोपालगंज नहर संचालन में श्रमिक के पद पर कार्यरत थे;

(ख)क्या यह सही है कि श्री सिंह वर्ष 2012 से जेनेरेटर ऑपरेटर के रूप में सारण प्रमंडलअन्तर्गत भोरे में लगातार दिनांक 10.01.21 तक कार्य किए है, इसके बाद इनका स्थानान्तरण 'चैन वाइक' अवर प्रमंडल, हुसेंपुर सारण कर दिया गया है, जहां श्री सिंह मई 2024 तक लगातार कार्य किए;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय कनीय अभियंता श्री चंदन कुमार एवं श्री संजय कुमार

गुप्ता द्वारा इनके बीच का वेतन भी रोक दिया गया है ;

(घ) क्या यह सही है कि श्री सिंह ने दिनांक- 31.12.10 से दिनांक 31.05.24 तक लगभग 14 वर्ष अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देकर जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न जगहों पर सेवा दी है, वेतनादि न मिलने के कारण सारा परिवार भूखमरी के कगार पर हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्री सिंह को मानवीय आधार पर पूर्व की भांति जेनेरेटर ऑपरेटर एवं निरीक्षण भवन (डाक बंगला) का कार्य करने हेतु आदेश देना चाहती है, ताकि इनका पूरा परिवार भूखमरी का शिकार होने से बच सके, यदि हां तो कबतक?

वैकल्पिक व्यवस्था

41. **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि जिला- जहानाबाद, प्रखण्ड- काको एवं रतनी फरीदपुर को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार क्रिटिकल जोन घोषित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि क्रिटिकल जोन होने के कारण जिले के दोनों प्रखण्ड में लघु सिंचाई विभाग से सिंचाई हेतु पंपिंग सेट या बोरिंग का कार्य बंद है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार सिंचाई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उड़ाही करने के संबंध में

42. **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत तिरहुत एवं त्रिवेणी नहर का संचालन हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर से निकलने वाली वितरणी का गाद भर जाने के कारण नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर के वितरणी का गाद का उड़ाही करवा कर खेतो तक पानी पहुंचाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उच्चस्तरीय न्यायिक जांच

43. **श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर में एक फर्जी डीबीआर कंपनी द्वारा रोजगार के नाम पर सैकड़ों युवक-युवतियों से पैसे की ठगी, मारपीट और यौन शोषण की घटना उजागर हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मामले में अब तक एक पीड़िता ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन उसके मुख्य अभियुक्त मनीष सिन्हा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि अन्य पीड़िता भय व लोक लाज के कारण मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने स्तर से जांच का कोई आदेश अब तक नहीं दिया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सभी पीड़िता का मुकदमा दर्ज करवाने और पूरे मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक,नहीं तो क्यों ?

जाम की समस्या

44. **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **गृह** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि आए दिन किसी भी घटना पर लोगों में लगभग बिहार के सभी जिलों में जिसमें मुख्यतः पटना, जहानाबाद, गया, इत्यादि में सड़क जाम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) क्या यह सही है कि लोगों द्वारा सड़क जाम करने की स्थिति में आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसी भी घटना पर सड़क जाम न करने से संबंधित कोई कानून बनाना चाहती है, ताकि ऐसी घटनाओं पर जाम की समस्या से निजात मिल सके, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

ठगी के विरूद्ध कारवाई

45. **श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

दिनांक- 22.06.2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''वाई-फाई टावर लगाने का झांसा दे राज्य के दो हजार लोगों से 30 करोड़ की ठगी'' (प्रेस कतरन की छायाप्रति संलग्न)को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क) क्या यह सही है कि स्किलजा ग्रोथ प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा वाई-फाई मोबाईल टावर लगाने के नाम पर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिला के दो हजार लोगों से 30 करोड़ रूपया की ठगी की गयी है ;

ख) क्या यह सही है कि इसी ठगी की कड़ी में लोगों से डेढ़-डेढ़ लाख रूपया का सेकुरिटी डिपोजिट लिया गया है जिसमें मुजफ्फरपुर की निभा देवी एवं शुशांत सुमन तथा समस्तीपुर की ललिता देवी प्रमुख हैं;

ग) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो ठगी करने वाली इस कंपनी के विरूद्ध सरकार कब तक कौन सी कार्रवाई करना चाहती है?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि

46. श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार)ः

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को रु० 400/- प्रति माह की दर से पेंशन की राशि दी जाती है ;

(ख) क्या यह सही कि वर्षों से इस पेंशन की राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान समयानुसार आवश्यक प्रति व्यक्ति प्रति माह पेंशन राशि का सुझाव, जो जरुरतमंदों की जरूरतों में मददगार हो सके, के लिए कोई समिति का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कृषि कार्य हेतु नलकूप

47. श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया)ः

क्या **लघु जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि समाचार पत्र दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 01.07.2024 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य में 10 हजार नलकूप लगेंगे, अलग कृषि फीडर लगाया जा रहा'' पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; (प्रेस कतरन संलग्न)

(ख) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड - सकरा के पंचायत – विष्णुपुर बघनगरी अंतर्गत ग्राम- रामनगर, ग्राम- लकठा एवं ग्राम- पटसामा में एक भी नलकूप नहीं है जिसके कारण कृषकों को कृषि कार्य (पटवन) में काफी परेशानी होती है ;

(ग) क्या यह सही है कि संबंधित गांवों में कृषकों को खेतों के कृषि कार्य एवं पटवन हेतु मौसमी बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषकों के हित में खण्ड 'ख' में वर्णित ग्रामों में नलकूप (स्टेट बोरिंग) अतिशीघ्र लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ?

पटना. **अखिलेश कुमार झा ,**

25 जुलाई, 2024. **सचिव, बिहार विधान परिषद्**